संख्या-438/22-4-2010-119(ब)/2000टी.सी.8

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 26 मार्च, 2010

विषयः- कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली स्थापित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की सात कारागारों में वीडियो कान्फ्रेन्सिग प्रणाली की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-2174/22-4-08-119(ब)/2000टी0सी0-8,दिनांक-02जनवरी,2008 एवं शासनादेश संख्या-2216/22-4-08-119(ब)/2000 टी0सी0-8 दि0-17जनवरी,2008, द्वारा क्रमशः रूपये-1,62,30,000.00 (रूपये एक करोड़ बासठ लाख तीस हजार) एवं रु0-64,92,000.00 (रूपये चौसठ लाख बानवे हजार मात्र) अर्थात कुल रूपये-2,27,22,000.00 (रूपये दो करोड़ सत्ताइस लाख बाइस हजार) की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। शासनादेश संख्या-773/22-4-08-119(ब)/2000टी0सी0-8 दिनांक-28 मार्च, 2008 द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना के लिए उक्त धनराशि एवं रु0-44,78,000.00 अर्थात कुल रु0-2,72,00,000.00 उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ के पी0एल0ए0 में जमा किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। पीएलए में रखी उक्त धनराशि में से जिला कारागार, मेरठ/मिर्जापुर एवं केन्द्रीय कारागार नैनी में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना के लिए शासनादेश संख्या-258/22-4-2010-119(ब)/2000टी0सी0-8 दिनांक-28.2.2010 द्वारा रु0-94,44,000.00 की धनराशि को पीएलए से आहरित कर व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- पत्र संख्या-5720/अभि.कक्ष दिनांक-02.03.2010, पत्र संख्या-5721/अभि.कक्ष दिनांक-02.03.2010 एवं पत्र संख्या-5819/नम-1 दिनांक-03.03.2010 द्वारा जिला कारागार गाजियाबाद/लखनऊ एवं कानपुर नगर में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना के लिए आगणन उपलब्ध कराये गये हैं। उपलब्ध कराये गये आगणन के परीक्षणोपरान्त उक्त कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नवत् धनराशि आंकलित की गयी है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र	कार्य का नाम	प्रस्तावित लागत	आंकलित लागत
1	जिला कारागार गाजियाबाद में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग प्रणाली की स्थापना।	32.43	30.29
2	जिला कारागार लखनऊ में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग प्रणाली की स्थापना।	23.79	23.02
3	जिला कारागार कानपुर नगर में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग प्रणाली की स्थापना।	26.70	23.94
	योग		77.25

PTO

3- अतः सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना के लिए श्री राज्यपाल महोदय कुल रु0-77,25,000.00 (रूपये-सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त शासनादेश संख्या-773/22-4-08-119(ब)/2000टी0सी0-8 दिनांक-28.3.2008 द्वारा उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ के पी0एल0ए0 में इस निमित्त जमा धनराशि रूपये-2,27,22,000.00 (रूपये दो करोड़ सत्ताइस लाख बाइस हजार) में से प्रस्तर-2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल रु0-77,25,000.00 (रूपये-सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) को आहरित कर व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

(क) आहरित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं शासकीय निर्माण कार्यो के संपादन संबंधी शासन के स्थाई आदेशों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अर्न्तगत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) महानिरीक्षक, कारागार निर्माण कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति की मासिक आख्या नियमित रूप से शासन के कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 /वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग तथा नियोजन विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(ग) संबंधित निर्माण इकाई (उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम) से निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार से विशिष्टियों का निर्धारण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई का होगा।

(घ) स्वीकृत धनराशि के त्रैमासिक प्रगति विवरण/उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित विवरण पूर्व प्रेषित निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों पर तथा नियमित रूप से यथा समय महानिरीक्षक, कारागार द्वारा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ङ) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन आदि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-2658/दस-2000 दिनांक 10 जुलाई, 2002 एवं शासकीय निर्माण कार्यो के संपादन विषयक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या ई-8-215/ दस-1998 दिनांक 9 मार्च, 1998 में दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) निर्माण कार्यों के लिए किसी भी दशा में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा और स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि का व्यय आगणन में स्वीकृत कार्यो के लिए ही किया जायेगा।

(छ) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत विश्लेषण की छायाप्रति संलग्न है। तदनुसार ही निर्माण कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे।

....3

(ज) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय एवं पीएलए में अवशेष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-802/दस-2010 दिनांक-26 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-438(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ
3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 लखनऊ
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।